भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2699

बुधवार, 4 दिसम्बर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

2699. श्री अदला प्रभाकर रेड्डीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) का अनुबंध वर्ष-दर-वर्ष किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लगातार दूसरे महीने औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई है; और

(घ) सरकार द्वारा अनौपचारिक क्षेत्रों तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-सितंबर, 2019-20 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में वृद्धि की दर 1.3 प्रतिशत दर्ज की गई। आईएमएफ के विश्व आर्थिक परिदृश्य, अक्तूबर, 2019 के अनुसार, वर्ष 2019 में 3.0 प्रतिशत वैश्विक जीडीपी वृद्धि का अनुमान है जो 2008-09 से अब तक का न्यूनतम स्तर है। हालांकि, इस वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद, आईएमएफ के अनुसार भारत विश्व के अन्य देशों की तुलना में तेजी से वृद्धि (6.1%) कर रहा है।

(घ): उद्योगों का उत्पादन घरेलू मांग, निर्यात मांग, निवेश स्तर और प्रचलित मूल्य जैसे अनेक घटकों पर निर्भर करता है। सरकार ने निम्नलिखित स्कीमों के माध्यम से अनौपचारिक क्षेत्रों की आय और ग्रामीण आय में वृद्धि के लिए कई कदम उठाए हैं: -

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यवसाय उद्यमों तथा निजी व्यक्तियों को अपने व्यवसाय संबंधी क्रियाकलाप स्थापित करने अथवा विस्तार करने के लिए 10 लाख रु. तक के बंधक मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) इस स्कीम के लिए वे गैर-संगठित कामगार पात्र हैं जिनकी मासिक आय 15,000/- प्रति माह या इससे कम है और जो 18-40 आयु-वर्ग में आते हैं। **प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम-केएमवाई)** पात्र छोटे और सीमांत किसानों को न्यूनतम निर्धारित पेंशन प्रदान करती है। **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)** का लक्ष्य 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि वाले देश भर के छोटे और सीमांत भूमि-धारक किसान परिवारों को 6000/- रूपए की सहायता राशि प्रदान करना है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) स्कीम मजदूरी आधारित रोजगार के लिए नियोजन (प्लेसमेंट) से जुड़ा कौशल विकास कार्यक्रम है जिसमें देश के सभी राज्यों के ग्रामीण भागों को शामिल किया गया है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) का लक्ष्य निर्धन ग्रामीणों के लिए सक्षम और प्रभावी संस्थागत ढांचे का सृजन करना, स्थायी अजीविका उन्नयन द्वारा परिवार की आय वृद्धि करने की क्षमता प्रदान करना तथा स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) तथा संघीय संस्थानों के माध्यम से वित्तीय सेवाओं की सुविधाओं की उपलब्धता में सुधार लाना है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योगों के अनुकूल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाती है जिससे उन्हें एक बेहतर आजीविका प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

एस्पॉयर नवप्रयोग,ग्रामीण उद्योग तथा उद्यमियता को बढ़ावा देने की एक स्कीम है। इसका शुभारंभ कृषि-उद्योग के क्षेत्र में उद्यमियता को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी केंद्रों के एक नेटवर्क को स्थापित करने तथा इन्क्यूबेशन केंद्रो को स्थापित करने के लिए किया गया था।

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) रोजगार के सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करती है। इस स्कीम के अंतर्गत, भारत सरकार ईपीएफओ के माध्यम से नए कर्मचारियों को तीन वर्ष की अवधि के लिए ईपीएफ और ईपीएस दोनों हेतु 12% (समय-समय पर यथा लागू) के नियोक्ता के कुल अंशदान का भुगतान करती है। 31 मार्च, 2019 तक पंजीकृत लाभार्थी इस स्कीम के अंतर्गत पंजीकरण की तारीख से 3 वर्ष के लिए लाभ प्राप्त करेंगे।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) एक ऋण संबद्ध राजसहायता स्कीम है और यह पारंपरिक कलाकारों और बेरोजगारों युवकों की मदद करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमियों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोजगार अवसरों का सृजन करती है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजीए) का लक्ष्य 'काम के लिए अधिकार' सुनिश्चित करना है और किसी भी वित्तीय वर्ष में अकुशल मानवीय कार्य करने के लिए स्वैच्छिक रूप से तैयार वयस्क सदस्यों वाले प्रत्येक परिवार को कम से कम 100 दिनों का मजदूरी आधारित रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करना है।

मंत्रालय/विभाग/राज्य युवाओं की नियोजनीयता में सुधार लाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास स्कीम संचालित करते हैं तथा नियोजन (प्लेसमेंट) में भी सहायता करते हैं। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम (एनएपीएस) जैसी स्कीमों के अंतर्गत सरकार प्रशिक्षुओं को भुगतान की जाने वाली छात्रवृत्ति के 25% की प्रतिपूर्ति करती है जिससे युवाओं के रोजगार प्राप्ति की संभावना भी बढ़ जाती है।

इन पहलों के अलावा, सरकार के अनेक अग्रणी-कार्यक्रमों यथा **मेक इन इंडिया, डिजीटल इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन-ट्रांसफोर्मेशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक कोरिडोर** में उत्पादक संबंधी रोजगार और अनौपचारिक क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आय के अवसर सृजित करने की क्षमता है।

*****